**कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून**

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-59/2016-17/

दिनांक : /02/2017

**सेवा में,**

**परियोजना निदेशक,**

**ज़िला ग्राम्य विकास अभिकरण,**

**उत्तरकाशी**

**विषय : ज़िला ग्राम्य विकास अभिकरण उत्तरकाशी का वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।**

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग -4 (ब)-1 में शून्य प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में 02 प्रस्तर हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम परिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1. प्रतिवेदन की प्रति।

2. परिपालन आख्या का प्रारूप।

भवदीय

**वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय**

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 59/2016-17/ दिनांक : /02/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखंड, पौड़ी।

3- मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।

4- जिला विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।

**वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय**

## कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

### भाग-एक

## वर्ष 2014-15 से 2015-16 के लिये कार्यालय परियोजना निदेशक, ज़िला ग्राम्य विकास अभिकरण उत्तरकाशी का निरीक्षण प्रतिवेदन।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (क.श.एवं.से.श.) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत सम्पन्न की गयी है।

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत पंचायतीराज अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्री आनंद सिंह - परियोजना निदेशक

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

(1) श्री एस.के.त्यागी, व.ले.प.अ.
(2) श्री पी.एल.शर्मा, सहा.ले.प.अ.
(3) श्री अर्जुन सिंह, सहा.ले.प.अ.
(4)श्री मधुकर मिश्र, व.ले.प.

(स) संप्रेक्षा तिथि 18.11.2016 से 30.11.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: 2014-15 से 2015-16

### भाग-दो

**परिचयात्मक :**

पंचायतीराज संस्था का नाम : **ज़िला ग्राम्य विकास अभिकरण,उत्तरकाशी**

(अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत राज अधिकारी है तो क्षेत्र पंचायतों की संख्या:- ---

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः - ----

भौगोलिक क्षेत्र : - --

जनसंख्या :

1- निर्वाचित सदस्यों की संख्या :

2- (अ) पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः -

3- (ब) उपसमितियों,स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:-

4- बैठक :-

5- कर्मचारियों की संख्या : 17

6- पंचायतीराज की सम्पत्तियां : -

7- पंचायतीराज के अपने प्रोजेक्ट : -

8- योजनाओं की संख्या :-

9- (अ) सामाजिक संरक्षा : -
(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -
(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनाये: -
(द) लाभार्थियों की संख्या:

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय : बजट के अनुसार
(अ) सामान्यः -
(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है। -

# भाग -4-(अ)

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय **ज़िला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तरकाशी** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा **श्री एस.के.त्यागी, व.ले.प.अ**, **श्री पी.एल.शर्मा, स.ले.प.अ., श्री अर्जुन सिंह, स.ले.प.अ.** एवं **श्री मधुकर मिश्र, व.ले.प.** एवं द्वारा दिनांक 18.11.2016 से 30.11.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः- -

| **लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0** | **प्रस्तर भाग-4(ब)-1** | **प्रस्तर भाग-4(ब)-2** | **STAN** |
|---|---|---|---|
| (i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर | | | |
| (1) AIR- 14/2014-15 | प्रस्तर 01,02 | प्रस्तर 01 | |

| | **प्रतिवेदन संख्या वर्ष** | **भाग प्रस्तरों की संख्या** |
|---|---|---|
| (ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर | NIL | |
| (ग) सतत अनियमितताओं की सूची | NIL | |
| (घ) अप्रस्तुत अभिलेख | NIL | |

## भाग-4(ब)-2

## प्रस्तर-1- इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थियों द्वारा आवास निर्माण कार्य पूर्ण न किया जाना।

इन्दिरा आवास योजना / दैवीय आपदा इन्दिरा आवास योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसके तहत गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले आवासविहीन उन परिवारों को, जिनके पास पर्याप्त आवास सुविधा नही है, आवास निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जाती है। उक्त योजना हेतु वर्ष 2014-15 मे लाभार्थियों को ` 75,000/- की सहायता दी जानी थी। योजना के अनुसार प्रत्येक आवास मे शौचालय एवं धुआँरहित चूल्हे का निर्माण अवश्य किया जाना था। प्रथम किश्त जारी होने के नौ माह के भीतर लेंटर स्तर तक का काम पूर्ण हो जाना चाहिए था तथा दूसरी किश्त जारी होने के नौ माह के भीतर सम्पूर्ण कार्य कर लिया जाना चाहिए था।

उक्त योजना से संबन्धित अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि योजना के अंतर्गत ज़िला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तरकाशी द्वारा वर्ष 2014-15 मे प्रथम व द्वितीय किश्त जारी की गयी थी परंतु लाभार्थियों द्वारा कार्य पूर्ण नही किए गए जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

| लाभार्थियों की सं. | प्रथम किश्त | द्वितीय किश्त | कुल धनराशि |
|---|---|---|---|
| 08 | ` 18,750X8 | - | ` 1,50,000/- |
| 27 | ` 5,25,000/- | ` 11,96,250/- | ` 17,21,250/- |
| कुल धनराशि | | | ` 18,71,250/- |

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि प्रथम एवं द्वित्तीय किश्त के 31 लाभार्थियों के अंतिम किश्त हेतु शासन को F.I.O. प्रेषित किया गया है। चार लाभार्थियों को कार्य पूर्ण करने हेतु संबन्धित विकास खंडो के माध्यम से कार्यवाही करने हेतु समय-समय पर दिशानिर्देश दिये गए है।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि निर्धारित समय के अंदर कार्यों को पूर्ण नही किया गया जो कि शासन द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।

अतः प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

## भाग-4(ब)-2

## प्रस्तर-2- समेकित जलागम प्रबंधित कार्यक्रम के अंर्तगत ` 22,24,864/- के उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त रहना।

सदस्य सचिव डी.डबल्यू.पी.एम.यू. प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी द्वारा वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक विभाग को विभिन्न विकास खंडो के माध्यम से जलागम एवं प्रबंधन योजना (एल. डब्लू.एम.पी.) के अंतर्गत जलागम समितियों के आवंटन हेतु ` 1,52,52,355/- की धनराशि आवंटित की गयी थी, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र संबन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाना था जिससे कार्यों की भौतिक प्रगति का पता चलता। उक्त धनराशि से 49 कार्यों का सम्पादन किया जाना था। उक्त के क्रम मे डी.आर.डी.ए. द्वारा दो विकास खंडों नौगाँव एवं पुरोला को प्राप्त धनराशि आवंटित की गयी थी। दोनों विकास खंडों को क्रमशः ` 1,39,91,636/- एवं ` 12,60,719/- की धनराशि उपलब्ध कराई गयी थी परंतु विकास खंड नौगाँव द्वारा 31 मार्च 2016 तक केवल ` 1,17,66,772/- का ही उपयोग किया गया था। इस प्रकार ` 22,24,864/- के उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग द्वारा उपलब्ध नही कराये गए थे तथा कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने हेतु शिथिलता बरती गयी थी जिस कारण उक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि संबन्धित विकास खंड को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रमाण पत्र शीघ्र प्राप्त कर शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा तथा 49 कार्यों के सापेक्ष 48 कार्य पूर्ण किए गए है एवं एक कार्य प्रगति पर है।

उत्तर संतोषजनक नही है क्योंकि शासन द्वारा आवंटित मद के दिशानिर्देशों मे निर्देशित रहता है कि अवमुक्त धनराशि का संबन्धित वर्षों के अंत मे ही उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस प्रकार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित न किया जाना शासकीय आदेशों का उल्लंधन है।

अतः प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

## <u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **परियोजना निदेशक, ज़िला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार / स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,वैभव पैलेस,C-1/105,इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।,

**वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीयनिकाय**